

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1445/2013/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक सप्तम, जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्रीमती पिकी सारस्वत पत्नी श्री नवीन सारस्वत,
निवासी डी-162, कान्ती चन्द्र रोड, बनी पार्क, जयपुर
2. पवन कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन, जयपुर

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से.

अनुपस्थित
(एकपक्षीय कार्यवाही)

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17.02.2017

निर्णय

- 1 यह निगरानी राजस्व द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे "अधीनस्थ न्यायालय" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 277/2010 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2010 के विरुद्ध अधिनियम की धारा-65 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।
- 2 उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने स्वामित्व के अर्पित नगर, बीड खातीपुरा, जयपुर स्थित भूखण्ड संख्या 29 व पुराना 27, क्षेत्रफल 400 वर्गगज स्थित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राशि रुपये 1,00,000/- में विक्रय हेतु दिनांक 08.03.2002 को इकरारनामा निष्पादित किया। अप्रार्थी द्वारा इकरारनामा दिनांकित 08.03.2002 को पूर्ण मुद्रांकित करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर के समक्ष दिनांक 29.06.2010 को प्रस्तुत किया। कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 2,25,744/-रुपये मान कमी मुद्रांक कर 24,740/- रुपये व शास्ति 760/- रुपये तथा कुल मांग राशि 25,500/-रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिनांक 09.08.2010 को पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 09.08.2010 से व्यथित होकर प्रार्थी राजस्व द्वारा यह निगरानी राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
- 3 राजस्व की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा कई बार आवाज के बावजूद अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है?
- 4 प्रार्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि

लगातार.....2.

Anil Kumar
17/02/17


दिनांक 08.03.2002 को अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती पिंगी सारस्वत पत्नी श्री नवीन सारस्वत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन के साथ अर्पित नगर, बीड खातीपुरा, जयपुर स्थित भूखण्ड संख्या 29 व पुराना 27, क्षेत्रफल 400 वर्गगज राशि रूपये 1,00,000/- में विक्रय करने का इकरारनाम किया।

- 5 प्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे यह कथन प्रस्तुत किया कि कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा दस्तावेज निष्पादन की दिनांक 08.03.2002 को प्रश्नगत सम्पत्ति की तत्समय डीएलसी दर के आधार पर इकरारनामों में दर्ज प्रतिफल राशि को ही लेखपत्र की मालियत मानते हुये विलेख पूर्ण मुद्रांकित करने के आदेश प्रदान किये है, जो अविधिक है, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू के आधार पर मुद्रांक शुल्क देय होता है।
- 6 राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सरकार बनाम खण्डाका जैन ज्वैलर्स 2008(1) आर.आर.टी 551 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुद्रांक कर देय होगा। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दस्तावेज निष्पादन की दिनांक 08.03.2002 को ही पंजीयन हेतु प्रस्तुत की दिनांक मानकर प्रश्नगत सम्पत्ति की तत्समय डीएलसी दर के आधार पर इकरारनामों में दर्ज प्रतिफल राशि को ही लेखपत्र की मालियत मानते हुये विलेख पूर्ण मुद्रांकित करने के आदेश प्रदान किये है, जो अविधिक होने से कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश दिनांक 09.08.2010 अपास्त किये जाने योग्य है।
- 7 अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।
8. राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा सम्पत्ति को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 08.03.2002 को निष्पादित किया। अप्रार्थी श्रीमती पिंगी द्वारा क्रयशुदा प्रश्नगत सम्पत्ति के इकरारनामा दिनांकित 08.03.2002 को पूर्ण मुद्रांकित कराने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर के समक्ष दिनांक 29.06.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित व पंजीयन हेतु दिनांक 29.06.2010 को प्रस्तुत किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू के आधार पर मुद्रांक शुल्क देय होता है। न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सरकार बनाम खण्डाका जैन ज्वैलर्स 2008(1) आर.आर.टी 551 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक

[Handwritten Signature]
12/02/17

को ही प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुद्रांक शुल्क देय होगा।

9. प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 08.03.2002 को निष्पादित किया गया तथा दिनांक 29.06.2010 को पूर्ण मुद्रांक एवं पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। किन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 08.03.2002 को प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 2,25,744/-मानते हुये विलेख पूर्ण मुद्रांकित करने के आदेश दिनांक 09.08.2010 को पारित किया, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सरकार बनाम खण्डाका जैन ज्वैलर्स 2008(1) आर.आर.टी 551 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा आदेश दिनांकित 09.08.2010 को पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 09.08.2010 को अपास्त किये जाने योग्य है।
10. परिमाणस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2010 को अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय, कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण पुनः दर्ज कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात् दिनांक 09.08.2010 को इस क्षेत्र के लिये प्रचलित बाजार दर (Market Value) के आधार पर निर्धारित की जाकर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि का निर्धारण किया जावे तथा पूर्व में भुगतान किये गये मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क की राशि को समायोजित किया जाये।
- 10 निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य